International Journal of Educational Research and Studies
www.multidisciplinaryarticle.org
Online ISSN: 2664-6811, Print ISSN: 2664-6803
Received: 25-12-2022, Accepted: 01-01-2023, Published: 27-01-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 1-5

भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएँ एवं उनके समाधान

डा0 विभा भारद्वाज
एसोसिएट प्रोफेसर, ए0के0(पी0जी0) कालिज, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
स्वतन्त्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ है। उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ इनमें गिरावट भी आयी है। गुणात्मक सुधार की ओर ध्यान कम दिया गया है। यही कारण है कि छात्र विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह शिक्षित बेरोजगारी अन्य समस्याओं के जन्म का कारण बन चुकी है। आज छात्र का ध्यान ज्ञानार्जन की ओर कम तथा येन–केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त करने की ओर अधिक है। उनमें उस योग्यता का अभाव है जो इस स्तर पर होनी चाहिए। इस स्तर पर आज अनेक समस्याएँ हैं जिनका निदान निकाला जाना अत्यन्त आवश्यक है।
उच्च शिक्षा का भी देश के योग्य नागरिकों का निर्माण करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। इस स्तर पर विविध अनिवार्य, ऐच्छिक अथवा विशिष्टीकरण पाठयक्रमों का अध्ययन करने के उपरान्त ही अधिकांश विद्यार्थी राष्ट्र के अनेक महत्वपूर्ण एव उच्च पदों के योग्य बनते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही उच्च शिक्षा आयोग एवं कोठारी आयोग के द्वारा भारत सरकार को उच्च शिक्षा में सुधार करने हेतु अनेक सुझाव दिये गये थे। इन सुझावों को स्वीकार करके यद्यपि सरकार ने समय–समय पर अनेक प्रयास किये भी हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ यथावत् दृष्टिगोचर होती हैं।

मूल शब्द: गुणात्मक सुधार, योग्यता का अभाव, प्रकारेण डिग्री, विशिष्टीकरण पाठ्यक्रम

उच्चत्तर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कृतिक और मानवीय राष्ट्रीय जहाँ सभी के लिए न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे–जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे–वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चत्तर–शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। इक्कसवी सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चत्तर–शिक्षा का जरूरी उद्देष्य, अच्छे, चिन्तनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, और साथ ही चरित्र नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है।
सामाजिक स्तर पर, उच्चत्तर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढकर लागू कर सके। उच्चत्तर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जिस समय देश स्वतन्त्र हुआ उस समय उच्च शिक्षा की स्थिति बड़ी शोचनीय थी, न उसके उद्देश्य स्पष्ट थे और न उसका पाठयक्रम उपयोगी था। विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक ढाँचा भी उपयुक्त नही था। उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी। छात्रों में अनुशासनहीनता भी बढ़ रही थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारी सरकार का सर्वप्रथम ध्यान उच्च शिक्षा पर ही गया और उसने 1948 में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 'विश्वविद्यालय आयोग' (राधाकृष्णन कमीशन) का गठन किया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 1964 में 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' (कोठारी कमीशन) की नियुक्ति की गयी। इसके सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की घोषणा की गई और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए सुझाव दिए गए। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई।

विश्वविद्यालयों के प्रकार (Types of Universities)

भारत में इस समय मुख्यतः चार तरह के विश्वविद्यालय है :–

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- राज्य विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय
- डीम्ड विश्वविद्यालय या तुल्य विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम के तहत बनाये देश में कुल 30 विश्वविद्यालय हैं। ये सभी मानव संशाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के तहत आते हैं। इन विश्वविद्यालयों को ज्यादा फंड आवंटित होता हैं, इसलिए इनमें दूसरे विश्वविद्यालयों के मुकाबले सुविधाएँ भी बेहतर होती हैं। 2009 में 15 विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कुछ प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय ये हैं– दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि हैं। उत्तर प्रदेश में 6 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं।

राज्य विश्वविद्यालय

राज्यों की विधानसभा ऐक्ट पारित कर राज्य विश्वविद्यालय बनाती है। देश में 250 से अधिक यूनिवर्सिटी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ

मुंबई देश की सबसे पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। उत्तर प्रदेश में 35 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं।

निजी विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थान, जिनकी स्थापना राज्य या केन्द्र के कानून के तहत किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा की जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज के पास यूजीसी मान्यता भी होती है, जिससे इनके द्वारा दी जा रही डिग्रियों को मान्यता मिलती है। पिलानी स्थित बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड सांइस को इस कैटिगरी में रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 30 से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं।

डीम्ड विश्वविद्यालय या तुल्य विश्वविद्यालय

यूनिवर्सिटी के अलावा उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे इंस्टिट्यूटस को यूजीसी की सलाह पर केन्द्र सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है। अमूमन यह दर्जा पाने के लिए संस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा होना जरूरी माना जाता है। इस तरह की यूनिवर्सिटी का स्टेटस बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही होता है, लेकिन इन्हें स्वायत्तता अधिक हांसिल होती है। ये न सिर्फ अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि अपने एडमिशन और फीस सम्बन्धी नियम भी बना सकते हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मांइस (धनबाद) व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सांइस (बंगलूरू) कुछ जानी–मानी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। उत्तर प्रदेश में 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ एवं समाधान

1. विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना,
2. संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखनें के परिणामों पर कम बल,
3. गम्भीर रूप से खण्डित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिक तन्त्र,
4. सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहॉ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं,
5. सीमिति शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता,
6. योग्यता आधारित करियर प्रबन्धन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तन्त्र,
7. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव,
8. अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी–समीक्षा शोध निधियों में कमी,
9. एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली और
10. बहुत सारे सम्बद्ध विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक।

यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती हैं। जिससे सभी युवा लोगो को उनकी आंकाक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अग्रलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैंः–

1. ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु–विषयक विश्वविद्याालय और एचईआई ऐसे ही हो, जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों,
2. और अधिक बहु–विषयक स्नातक शिक्षा की और बढ़ना,
3. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना,
4. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठयचर्चा, शिक्षण–शास्त्र, मुल्यांकन और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले सहयोग में आमूल–चूल परिवर्तन करना।
5. शिक्षण, अनुसन्धान और सेवा के आधार पर योग्यता–नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखण्डता की पुष्टि करना,
6. सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान फाउन्डेशन (एनआरएफ) की स्थापना,
7. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर–योग्य स्वतन्त्र बोर्डो द्वारा एचईआई का गवर्नेस,
8. व्यवसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एक नियामक द्वारा "लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन,
9. उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच समता और समावेशन में वृद्धि, इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी/परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में प्राप्त वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच।

शिक्षण और शोध के अलावा, उच्चतर शिक्षण संस्थाएँ (एचईआई) अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी निभायेंगें, जैसे– अन्य उच्चत्तर शिक्षा संस्थान (एचईआई) विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चत्तर शिक्षा प्रणाली के लिए प्राध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान, जिन्हें वे उपयुक्त संसाधनों, प्रोत्साहनों और संरचनाओं को मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगें।

2040 तक सभी वर्तमान उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का उद्देश्य अपने आपको बहु– विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढाँचें और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, और जीवन्त बहु–विषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। चूँकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चत्तर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहु–विषयक संस्थान बनने की योजना बनायेंगे, और फिर धीरे–धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढायेंगे।

एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों (एचईआई) को समय के साथ जीवन्त बहु–विषयक संस्थानों या बहु–विषयक एचईआई कलस्टर का अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। जिन्हें उच्चत्तर गुणवत्ता बहु–विषयक और अन्तर–विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया जायेगा। एक स्ट्रीम वाले एचईआई में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जायेगा जिससे वे मजबूत होंगे। उपयुक्त प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) उपलब्धि के माध्यम से, सभी उच्चत्तर शिक्षा संस्थान (एचईआई) धीरे–धीरे पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्ता की तरफ बढ़ेंगे ताकि ऐसी जीवन्त संस्कृति का निर्माण हो। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्ता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व और मजबूती मिलेगी।

समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनना होगा– जिसमें व्यवसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। यह नीति और उसका दृष्टिकोण वर्तमान में एचईआई के सभी स्ट्रीम पर समान रूप से लागू होंगे जो अन्तःत उच्चतर शिक्षा के एक अनुकूल पारिस्थतिकी में विलय हो जायेंगे। व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु–विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पी–एच0डी0

कार्यक्रम चलाता है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसन्धान करता है।

समग्र और बहुविषयक शिक्षा

भारत में समग्र एवं बहु–विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परम्परा है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/वर्णित करती हैं और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण, चर्चा और वाद संवाद करने के व्यवहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल है। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र (जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशल शामिल है) को 'कलाओं' के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिन्तन की देन है। विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार, या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे 'लिबरल आर्ट्स (कलाओं का एक उदार नजरिया)' कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पनः शामिल करना ही होगा, चूँकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21 शताब्दी में आवश्यकता होगी आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान, ऐसी शैक्षिणिक पद्धतियाँ जो एसटीईएम (विज्ञान, तकनीकी, अभियान्त्रिकी और गणित) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती है, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिन्तन एवं उच्चतर स्तरीय चिन्तन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठयक्रम के सभी विषयों पर पकड़ सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही, समग्र और बहु विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदानुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा हमें 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु–विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा, क्योकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रूचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु विषयक शिक्षा का अनुभव लेने का अवसर प्रदान करता है। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक (एसीबी) स्थापित किया जायेगा जो अलग–अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय प्रोग्राम में 'शोध सहित' डिग्री भी दी जा सकती है। उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी। (क)– ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किये जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केन्द्रित हो, (ख)– वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है और (ग)– 5 वर्षो का एक एकीकृत स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पी–एच0डी0 के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षो के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम0फिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जायेगा।

उच्च शिक्षा में रचनात्मकता को प्रोत्साहन

पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए जिसे समय–समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। उच्चत्तर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अन्त में कुछ ऐसी क्षमताएँ जो छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक है जैसे–फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो–सामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।

1. उच्चत्तर शिक्षा के व्यापक ढाँचें में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठयक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्ष–कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायो द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जायेगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचानें के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जायेगा। उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियॉ भी तय की जाऍगी, जिनमें अन्तिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है।
2. प्रत्येक संस्थान अपनी वृहद् संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा–कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान–प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा, इसके लिए एक ऐसी आन्तरिक प्रणाली बनाएगा जो कि विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक अकादमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चत्तर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुँचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जायेंगे।
4. ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस, साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा, साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अन्त में सभी कार्यक्रमों, पाठयक्रम, पाठयचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन क्लास, ऑनलाइन, ओडीएल और छात्रों को समर्थन

जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएँ।

उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना

छात्र, शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक है। उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवन्त कैम्पस आवश्यक है। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति/कला क्लब/पर्यावरण–क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिये जायेंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावानात्मक तारत्मयता बनाने के लिए कांउसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जायेगी, जिसमें आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएँ बढ़ाना शामिल है। सभी उच्चत्तर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाऐं सुनिश्चित करेंगे।

गुणवत्तापूर्ण संकाय सदस्यों की उपलब्धता

उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ कार्यरत संकाय सदस्यां की गुणवत्ता और संगलग्नता है। उच्चतर शिक्षा से जुडें लक्ष्यों को हांसिल करने में संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षो में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये कदम भर्ती और सेवाकाल के दौरान कार्यस्थ्ल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने, और संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर से न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित हैं। सार्वजनिक संस्थानों के स्थायी संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी है। संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अपनी ओर से निम्न कदमों की अनुशंसा करती है।

उत्कृष्टता पूर्ण वातावरण

संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठयपुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्सक्रम सम्बन्धी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतन्त्रता दी जाएगी। संकाय सदस्यों का रचनात्मक शिक्षण, शोध और उनके अपने अनुसार बेहतर कार्य के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यो को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा। उत्कृष्ट कार्यो को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यो की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की माँग है। एक संस्था और उसके संकाय संदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उच्चतर अकादमिक और सेवा क्रेडेन्शियल्स के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबन्ध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी, और फिर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जायेगा।

उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित सरकारी उपाय

1. एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण।
2. उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण।
3. उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेन्डर संतुलन को बढ़ावा देना।
4. विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना।
5. उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानो का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएँ
6. सार्वजनिक और निजी दोंनो ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानो में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना।
7. एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना।
8. बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानो द्वारा उठाए जाने वाले कदम

1. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इसी दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना,
2. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना,
3. उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना,
4. प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना,
5. पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना,
6. उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना,
7. भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना,
8. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएँ व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों,
9. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना।
10. ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावात्मक और अकादमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना।
11. पाठ्यक्रम सहित उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेन्डर और जेन्डर–पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना।
12. भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना।
13. एसईडीजी से बढ़ती भागीदारी को सुनिशिचित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिन्दु शामिल हों लेकिन इन्हीं तक सीमित न हो।

निष्कर्ष

उच्चत्तर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार सम्भावानाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चत्तर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति एसईडीजी पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती

है। डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से एसईडीजी के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्चत्तर शिक्षा प्रणाली में समान है, इसलिए विद्यालयी शिक्षा और उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरन्तरता होनी चाहिए। अतः उच्चत्तर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. एमएचआरडी (2016), एनुअल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवरमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
2. एमएचआरडी (1989), नेशनल पॉलिसी आन एजुकेशन–1986, पीऑए–1990, नई दिल्ली, गवरमेंट ऑफ इंडिया प्रेस।
3. Singh JD. Higher Education in India- Issues, Challenges and Suggestion, In higher Education Germany: LAMBERT Academic Publishing, 2011. 93-103.
4. Singh JD. Research Excellence in Higher Education: Major Challenges and Possible Enablers, University News,2013:51(32):19-25.
5. Singh JD. Higher Education for the 21st Century, University News,2015:53(26):18-23.